न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) लैन्सडाउन, जनपद पौड़ी गढवाल।

उपस्थितः— श्री कुलदीप नारायण, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

दीवानी वाद संख्या— 01/2018

CNR No- UKPGoE000001/2018

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, शाखा सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल।

..... वादी,

बनाम

1. श्री उदित कुमार पुत्र श्री हरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट सतपुली, नजदीक सैंट पॉल अस्पताल, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दयाराम, निवासी ग्राम व पोस्ट सतपुली, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल।
3. श्री गणेश सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी ग्राम खैरा, पोस्ट ऑफिस खैरासैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल।

.....प्रतिवादीगण,

दिनांकः 13—02—2020 **एकपक्षीय निर्णय**

वर्तमान वाद, वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी से 69,580.17/— रु0 मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जो कि मासिक चक्रवृद्धि बकाया के आधार पर आरोपित है, की वसूली हेतु दायर किया गया है।

2. संक्षेप में वादी का कथन इसप्रकार हैं कि वादी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम इस प्रकार 1934 की धारा 42 की उपधारा—6 के तहत सृजित एवं गठित बैंक हैं। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय 18—ए, न्यू रोड, देहरादून में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र—2 स्काईलार्क होटल पौड़ी में स्थित है। वादी बैंक की सतपुली शाखा क्षेत्रीय कार्यालय —2 पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। श्री कुलदीप सिंह रावत, वर्तमान समय में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, शाखा सतपुली के शाखा प्रबंधक हैं जिनको वादी बैंक की ओर से वादपत्र आदि सभी अभिवचनों को सत्यापित व हस्ताक्षरित करने का तथा दावा पेश करने का अधिकार प्राप्त है। वादी बैंक की सतपुली शाखा के उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के रुप में कार्य करने के दौरान प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 28.08.2015 को वादी बैंक की शाखा सतपुली से सेटरिंग के सामान की दुकान के व्यवसाय हेतु 1,00,000/—रु0 का ऋण प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी बैंक को ऋण की अदायगी 60 मासिक किश्तों में वापस अदा की जानी थी जिसकी प्रत्येक किश्त मय ब्याज 1667/—रु0 थी तथा उक्त ऋण पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज जो कि ऋण की राशि पर दिन प्रतिदिन के बकाया के आधार पर मासिक अन्तराल पर आरोपित किया जाना था, के सहित होनी थी।

ऋण अनुबंध के अनुसार वादी बैंक व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य यह तय था कि वादी बैंक जब कभी भी ऋण की समस्त राशियां व उस पर देय ब्याज आदि की प्रतिवादी सं0 1 से मांग करेगा तो प्रतिवादी सं0 1 सम्पूर्ण राशि मय ब्याज वादी बैंक को तुरन्त अदा कर देगा। प्रतिवादी सं0 1 ने ऋण प्राप्ति हेतु वादी को दिनांक 28–0.8–2015 को आवेदन किया था जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 का ऋण आवेदन मंजूर करते हुए प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 28–08–2015 को उपरोक्त ऋण प्रदान किया गया था। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को उपरोक्त ऋण देने के प्रतिफल स्वरुप प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी बैंक के हक में दिनांक 28–08–2015 को ऋण अनुबंध/ कम्पोजिट लोन एग्रीमैंट एवं ऋण व्यवस्था पत्र निष्पादित कर वादी बैंक को दिये गये तथा ऋण अनुबंध के मुताबिक प्रतिवादी सं01 के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का समस्त सामान वादी बैंक के हक में आड़मानित हो गया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी बैंक से यह भी करार किया गया था कि प्रतिवादी सं0 1 अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लेखे–जोखे का समस्त विवरण वादी बैंक को देता रहेगा व ऋण की सम्पूर्ण अदायगी हो जाने तक अपने खाते को नियमित रखेगा। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा लिये गये ऋण के एवज में प्रतिवादी सं0 2 श्री हरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 3 श्री गणेश सिंह द्वारा गारंटी वादी बैंक को दी गयी और गारंटी अनुबंध निष्पादित किया गया। गारंटी अनुबंध के मुताबिक प्रतिवादी सं0 2 व 3 ऋण अदायगी के प्रति जिम्मेदारी ऋणी के साथ–साथ संयुक्त एवं पृथक–पृथक दोनों प्रकार की हो गयी थी एवं जमानत प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा ऋण की राशि, ब्याज आदि की अंतिम रुप से अदायगी हो जाने तक निरन्तर प्रभावी रहनी थी। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 2 व 3 की जिम्मेदारी ऋणी के साथ संयुक्त एवं पृथक–पृथक दोनों प्रकार की ऋण अदायगी के प्रति हो गयी है। वादी द्व ारा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से बैंक में एक ऋण खाता खोला गया तथा प्रतिवादी सं0 1 द्व ारा सम्पूर्ण ऋण राशि दिनांक 28.08.2015 को आहरित की गयी। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा ऋण अनुबंध के मुताबिक ऋण की राशियां अदा न करके ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम कर दिया गया है तथा ऋण अनुबंध का उल्लघंन कर दिया गया है। प्रतिवादीगण की ओर उपरोक्त ऋण मध्य दिनांक 15.03.2018 तक 69,421.17/–रु0 की राशि बकाया हो गयी तथा प्रतिवादीगण द्वारा ऋणी की राशि ब्याज सहित अदा न करने पर दावा दायर करने के तिथि तक कुल बकाया राशि 69,580.17/–रु0 होती है जिसके प्रतिवादीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से देनदार हैं। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर एवं ऋण अनुबंध का उल्लघन करने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार–बार ऋण की बकाया राशियों की मांग की गयी एवं दिनांक 27–01–2017 को प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किए गए लेकिन वाबजूद तामिली नोटिस प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को ऋण की बकाया राशियां अदा नहीं की गयी। अतः वर्तमान वाद न्यायालय में दायर किया गया।

3. प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 पर समन की पर्याप्त तामील करवाई गयी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिसके कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध

दिनांक 10.08.2018 को वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रुप से अग्रसारित किये जाने के आदेश पत्रावली पर पारित किये गये।

4. अपनी एकपक्षीय साक्ष्य के रुप में वादी की ओर से श्री बीरेन्द्र सिंह रावत को पी0डब्लू01 के रुप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में सूची 8क से 31 दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें ऋण आवेदन पत्र दिनांक 28–08–2015, ऋण व्यवस्था पत्र 28–08–2015, ऋणी अनुबन्ध मय आडमान का करार दिनांक 28.08.2015, गारंटी अनुबंध पत्र दिनांक 28.08.2015, डिमांड नोटिस दिनांक 27–01–2017, वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 27.01.2017 को प्रेषित नोटिस की डाकघर की तीन मूल रसीदें तथा वादी के ऋण स्टेटमेंट की कम्प्यूटराइज्ड सत्यप्रतिलिपि, बैंक सर्टिफिकेट, प्रस्तुत किये गये हैं।

5. मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मदीप अग्रवाल की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

6. **साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–101** के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि:–

"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्व है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।"

7. पत्रावली के परिशीलन के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि **"क्या वादी बैंक प्रतिवादीगण से धनराशि मुव0 69,580.17 रु0 मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली की तिथि तक प्राप्त करने के अधिकारी है?"**

8. वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 28.08.2015 को वादी बैंक की शाखा सतपुली से सेटरिंग के सामान की दुकान के व्यवसाय हेतु 1,00,000/–रु0 का कम्पोजिट ऋण प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी बैंक को ऋण की अदायगी 12 प्रतिशत सालाना ब्याज जो कि ऋण की राशि पर दिन प्रतिदिन के बकाया के आधार पर मासिक अन्तराल पर आरोपित किया जाना था, के सहित होनी थी। प्रतिवादी सं0 1 ने ऋण प्राप्ति हेतु वादी को दिनांक 28–08–2015 को आवेदन किया था जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 का ऋण आवेदन मंजूर करते हुए प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 28–08–2015 को उपरोक्त ऋण प्रदान किया गया था। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को उपरोक्त ऋण देने के प्रतिफल स्वरुप प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी बैंक के हक में दिनांक 28–08–2015 को ऋण अनुबन्ध व्यवस्था पत्र तथा अन्य दस्तावेज निष्पादित कर वादी बैंक को दिये गये तथा ऋण अनुबंध के मुताबिक प्रतिवादी सं01 के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का समस्त सामान वादी बैंक के हक में आड़मानित हो गया था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी बैंक से यह भी करार किया गया था कि प्रतिवादी सं0 1 अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लेखे–जोखे का समस्त विवरण वादी बैंक को देता

रहेगा व ऋण की सम्पूर्ण अदायगी हो जाने तक अपने खाते को नियमित रखेगा। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा लिये गये ऋण के एवज में प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा गारंटी वादी बैंक को दी गयी और गारंटी अनुबंध निष्पादित किया गया। गारंटी अनुबंध के मुताबिक प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ऋण अदायगी के प्रति जिम्मेदारी ऋणी के साथ–साथ संयुक्त एवं पृथक–पृथक दोनों प्रकार की हो गयी थी एवं जमानत प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा ऋण की राशि, ब्याज आदि की अंतिम रुप से अदायगी हो जाने तक निरन्तर प्रभावी रहनी थी। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा ऋण अनुबंध के मुताबिक ऋण की राशियां अदा न करके ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम कर दिया गया है तथा ऋण अनुबंध का उल्लघंन कर दिया गया है। प्रतिवादीगण की ओर उपरोक्त ऋण मध्ये दिनांक 15–03–2018 तक के ब्याज सहित ऋणी की ओर ऋण मध्ये 69,580.17/–रु0 की राशि बकाया हो गयी तथा प्रतिवादीगण द्व ारा ऋणी की राशि ब्याज सहित अदा न करने पर ऋणी की ओर दावा दायर करने के तिथि तक कुल बकाया राशि 69,580.17/–रु0 होती है जिसके प्रतिवादीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से देनदार हैं। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर एवं ऋण अनुबंध का उल्लघंन करने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार–बार ऋण की बकाया राशियों की मांग की गयी एवं दिनांक 27–01–2017 को प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किए गए लेकिन वाबजूद तामिली नोटिस प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को ऋण की बकाया राशियां अदा नहीं की गयी।

09. अपने उपरोक्त कथन का समर्थन वादी बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में ऋण अनुबंध/ कम्पोजिट लोन एग्रीमैंट एवं ऋण व्यवस्था पत्र, गारंटी अनुबंध पत्र, नोटिस की द्वितीय प्रति, नोटिस भेजे जाने की डाकघर की रसीदें एवं वादी के ऋण स्टेटमेंट की कम्प्यूटराइज्ड सत्यप्रतिलिपि, बैंक सर्टिफिकेट, न्यायालय में दाखिल किये गये जिन्हें साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य से साबित किया गया है जबकि विपक्षीगण के द्वारा वादी के वादपत्र के विरुद्ध कोई लिखित या मौखिक आपत्ति .दाखिल नहीं की गयी है। क्योंकि वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे में वादी द्वारा दाखिल मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डनीय है तथा उस पर विश्वास न किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी सं0 1 के गारण्टर हैं ने उक्त ऋण दिये जाने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी ली थी और प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी सं0 1 के गारण्टर होने के कारण उक्त ऋण की अदायगी में उनकी पूर्ण जिम्मेदारी है। अतः उनकी जिम्मेदारी भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ संयुक्त एवं पृथक रुप से होती है। तद्नुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रुप से सव्यय आज्ञप्ति किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद, विरुद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय रुप से सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। वादी बैंक, प्रतिवादीगण से धनराशि मुव0 69,580.17/–रु0 मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जो कि दैनिक बकाया के आधार पर आरोपित है, वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक, प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वादी बैंक प्रतिवादीगण से उक्त धनराशि एकमुश्त या किश्तों के रुप में संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से वसूल करने का अधिकारी होगा।

दिनांकः 13–02–2020

(कुलदीप नारायण)
सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड),
लैन्सडाउन गढवाल ।
13–02–2020

उपरोक्त निर्णय, मेरे द्वारा, खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके आज उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 13–02–2020

(कुलदीप नारायण)
सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड),
लैन्सडाउन गढवाल ।
13–02–2020